

आवेदकगण द्वारा श्री आर.आर.पटले अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक-3, 4, 5 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

इस आदेश द्वारा आवेदकगण/वादीगण के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-152 एवं सहपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदकगण/वादीगण ने आवेदन पत्र में निवेदन किया है, कि मूल व्यवहार वाद में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के अनुसार प्रकरण समाप्त किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत राजनीमा के अनुसार डिक्री पारित नहीं की गई है जो नजर चूक के कारण झूठ गई है। अतएव राजीनामा के अनुसार प्रकरण में आज्ञाप्ति तैयार करने हेतु आदेशित किया जावे।

अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से उक्त आवेदन के जवाब में आवेदन के अभिवचन स्वीकार करते हुए व्यक्त किया गया है कि उभयपक्ष के द्वारा किये गये राजीनामा के अनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के साथ संलग्न मूल व्यवहार वाद क्रमांक-63ए/2010 पक्षकार-लेखराम व अन्य विरुद्ध श्रीमति लीलाबाई व अन्य के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मूल वाद में दिनांक-14.07.2011 को न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के राजीनामा कथन लेखबद्ध करते हुए राजीनामा के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई है। उक्त वाद में व्यय तालिका बनाये जाने का आदेश दिया गया है, किन्तु राजीनामा अनुसार आज्ञाप्ति तैयार करने का आदेश नहीं दिया गया है।

उक्त मूल व्यवहार वाद में प्रस्तुत उभयपक्ष के राजीनामा आवेदन में यह उल्लेखित है कि उभयपक्ष ने राजीनाम के अनुसार वादी को वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 27/2, रकबा 4 एकड़, मौजा पंडरापानी, प.ह.नं. 49, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 से कराने का अधिकार होगा। उक्त राजीनामा की शर्त के संबंध में उभयपक्ष के राजीनामा कथन में भी यह तथ्य उल्लेखित है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि उभयपक्ष ने उक्त शर्त के आधार पर ही राजीनामा करते हुए प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया था।

उक्त राजीनामा में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-14.07.2011 में उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा स्वैच्छया से किया जाना पाते हुए राजीनामा के आधार पर बिना आज्ञाप्ति पारित करते हुए प्रकरण समाप्त किया है। वास्तव में उभयपक्ष के राजीनामा आवेदन पत्र में उभयपक्ष का आशय राजीनामा के अनुसार प्रकरण समाप्त करने का रहा है, जिसके आधार पर न्यायालय ने प्रकरण समाप्त कर दिया।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा-152 के प्रावधान अंतर्गत निर्णय, डिक्री या आदेशों में की गई लेखन या गणित संबंधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियों न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी। उक्त प्रावधान के अनुसार प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन एवं राजीनामा आदेश दिनांक-14.07.2011 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में राजीनामा आवेदन में प्रार्थित अनुतोष के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाकर समाप्त किया गया है। ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में लेखन या गणितीय संबंधी भूल या आकस्मिक भूल या लोप किया जाना प्रकट नहीं होता है। वास्तव में प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन मूल वाद में पारित राजीनामा आदेश के पुनर्विलोकन किये जाने की प्रकृति का होना प्रकट होता है। पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग धारा-152 व्य.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। अतएव उक्त सभी कारण से आवेदकगण का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-152 एवं सहपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर समयावधि के भीतर अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)